

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1 से 2**

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 1200.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 से 4**

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 800.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 5 से 6**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु ₹ 4900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 49,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 से 10**

कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार हेतु ₹ 3545.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,45,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु ₹ 240.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,40,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 12**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के गणवेश हेतु राशि ₹ 142.62 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,42,62,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 13 से 14**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत आधार उपकरण एवं अन्य सेवाओं हेतु राशि ₹ 118.80 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,18,80,000 का प्रावधान किया गया है।

**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 15**

राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम ₹100 की प्रतिपूर्ति हेतु एवं ₹7200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹72,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17 से 18**

एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन हेतु ₹42.67 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹42,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2403**

**मद क्रमांक 19**

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन हेतु ₹35.76 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹35,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4210**

**मद क्रमांक 20 से 21**

कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार हेतु नाबार्ड सहायता से चिकित्सकीय उपकरण क्रय हेतु ₹ 113.60 लाख एवं अधोसंरचना हेतु ₹ 288.60 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 4,02,20,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4215**

**मद क्रमांक 22 से 24**

1. जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹5400.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजनों हेतु ₹54,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 11 समूह जल प्रदाय योजना हेतु प्रति समूह ₹1000 के मान से ₹ 0.11 लाख का व्यय संभावित है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ग्राम	विकास क्षेत्र	योजना का विवरण	ग्रामों की संख्या	अनुमानित व्यय (₹)
1	रायपुर	आरंग	रीवा समूह जलप्रदाय योजना (34 ग्राम)	34	6000.00
2	राजनांदगांव	खैरागढ़	पाण्डादाह समूह जलप्रदाय योजना (30 ग्राम)	30	1800.00
3	बेमेतरा	नवागढ़	अमलडीहा समूह जलप्रदाय योजना (60 ग्राम)	60	10352.00
4	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बालपुर समूह जलप्रदाय योजना (13 ग्राम)	13	5600.00
5		बिलाईगढ़	पवनी समूह जलप्रदाय योजना (35 ग्राम)	35	6890.00
6		कसडोल	गिरोधपुरी समूह जलप्रदाय योजना (मेला एवं 23 ग्राम)	23	7093.00
6	बिलासपुर	मस्तूरी	हरदी-भटचौरा समूह जल प्रदाय योजना	21	3643.73
7	मुंगेली	मुंगेली	भरतपुर समूह जल प्रदाय योजना	18	2919.82
8	जांजगीर -चांपा	पामगढ़	पामगढ़ समूह जल प्रदाय योजना	13	4268.20
9	रायगढ़	सारंगढ़	गौठला छोटे- हरदी समूह जल प्रदाय योजना	33	3358.15
10		सारंगढ़	कोसीर बड़े-रिवापार समूह जल प्रदाय योजना	47	4842.41
<b>कुल</b>				<b>327</b>	<b>56767.31</b>

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 5054**

**मद क्रमांक 25**

छत्तीसगढ़ के सभी सार्वजनिक स्थान पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य हेतु इस वर्ष राशि ₹1.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।